

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी:- ओम कसेरा, I.A.S.

प्रकरण संख्या -25/2019 (अपील)

1. नारायण आत्मज अमरलाल जाति अहीर, निवासी हीरापुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

—अपीलान्ट.

बनाम

1. किशोरी बाई पत्नि नन्दा जाति अहीर निवासी तिलस्वां उर्फ तुलसा महादेव, तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा राज.
2. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा
—रेस्पोडेन्ट.

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956
विरुद्ध नायब तहसीलदार मण्डाना इंतकाल संख्या 497 दिनांक
20.12.2017 ग्राम धर्मपुरा तह0 लाडपुरा



उस्थिति

श्री चन्द्र मोहन शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

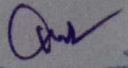
दिनांक— 17.12.019

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा दिनांक 20.07.2017 नामा0 सं0 497 मुताबिक रिपोर्ट पटवारी एवं आई.एल.आर. व सजरा अनुसार मृतक रामचन्द्र का फौती इन्तकाल बेवा किशोरीबाई के नाम स्वीकृत किया गया।"
2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 11.01.2019 को लिमिटेडेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ पेश कर कथन किया है कि वाके ग्राम हीरापुरा पटवार हल्का मांदलिया में शामलाती खाते की भूमि स्थित है, जिसमें खातेदार रामचन्द्र आत्मज भंवरलाल कोम अहीर का 1/2 हिस्सा निहित है। रामचन्द्र की मृत्यु होने के पश्चात उसके स्थान पर रेस्पोडेन्ट नं0 1 का नाम वारिस के रूप में दर्ज कर दिया जबकि किशोरी बाई रामचन्द्र के जीवन काल में ही नन्दा अहीर निवासी तिलस्वा, तहसील बिजौलियां में नाते चली गयी थी, इस कारण से इसका रामचन्द्र की सम्पत्ति में अधिकार समाप्त हो गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि रेस्पोडेन्ट नं0 1 रामचन्द्र के जीवन काल में ही अन्यत्र नन्दा के नाते चली गयी थी और नन्दा से उसके संताने भी उत्पन्न हुई है, इस कारण से रामचन्द्र की सम्पत्ति में उसका अधिकार समाप्त हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन्तकाल की

जिला कलेक्टर
कोटा

पुस्त पर रेस्पोडेन्ट नं० 1 किशोरी बाई का नाते जाना अंकित किया है । इसके बावजूद भी उसके पक्ष में उपरोक्त इन्तकाल तस्दीक कर न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की है । अपीलांट ने रामचन्द्र के हिस्से की भूमि को कय कर लिया था तब से ही वह उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा उक्त भूमि में सह खातेदार के रूप में रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज है । रामचन्द्र ला औलाद फौत हुआ है, उसके न तो संताने थी और न ही पत्नि थी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्तकाल खोलते समय अपीलांट को न तो नोटिस दिया और नही सुनवाई का मौका दिया तथा आरबीट्रेरीरूप से इन्तकाल बिना जांच किए ही फौती इन्तकाल तस्दीक कर दिया है जो निरस्त किए जाने योग्य है । उक्त इन्तकाल आदेश की सर्व प्रथम जानकारी अपीलांट को दिनांक 7.1.2019 को हल्का पटवारी द्वारा जमाबन्दी की नकल लेने जाने पर हुई उसी दिन इन्तकाल की नकल का आवेदन कर दिनांक 9.1.201 को नकल प्राप्त हुई, इस प्रकार उक्त आदेश की प्रथम जानकारी की तिथि से एवं नकल मिलने से अपील अवधि मध्य प्रस्तुत की जा रही है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अन्तकाल आदेश निरस्त फरमा कर पुनः जांच कर इन्तकाल खोले जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाया जावे ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो० को तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री हनीफ मोहम्मद खान का वकालतनामा पेश हुआ हुआ । वकील रेस्पोडेन्ट को बहस हेतु कई मौके दिये गये किन्तु रेस्पोडेन्ट एवं वकील रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के बहस हेतु उपस्थित नहीं होने से वकील रेस्पोडेन्ट की अनुपस्थिति दर्ज की जाकर वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।
4. वकील अपीलान्त ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी में रामचन्द्र का 1/2 हिस्सा निहित था जिसका देहान्त दिनांक 20.3.2002 को हो चुका है । मृतक रामचन्द्र के खातेदारी की भूमि जिसमें उसका 1/2 हिस्सा निहित है, उक्त आराजी वाके ग्राम हीरापुर पटवार हल्का मांदलिया में अपीलांट भी सहखातेदार है । खातेदार मृतक रामचन्द्र लाऔलाद फौत हुआ है, उसके कोई सन्तान नहीं थी । रेस्पोडेन्ट नं० 1 किशोरी बाई जिसके पक्ष में इन्तकाल खोला है वह रामचन्द्र के जीनकाल में ही नन्दा आत्मज घोंसा निवासी तिलस्वा उर्फ तुलसा महादेव तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा के नाते चली गई थी, यह तथ्य इन्तकाल के पीछे सजरा में लिखा हुआ है । नन्दा जो किशोरी का पति था उसका भी देहान्त हो चुका है और उसकी भूमि जो वाके ग्राम तिलस्वा तहसील बिजौलिया में स्थित है में नन्दा के स्थान पर आ चुका है । अब किशोरी का रामचन्द्र पूर्व पति की भूमि में कोई हक नहीं रह जाता है, इस कारण रेस्पोडेन्ट नं० 1 के पक्ष में तस्दीक किया गया विवादित इंतकाल निरस्त किए जाने योग्य है । इन्तकाल खोलते समय अपीलांट जो सह कृषक था और रामचन्द्र का भाई था को नहीं सुना गया और नही नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया, इसलिए नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्त के आधार पर अपीलांट को सुना जाना न्यायहित में आवश्यक था इस कारण इन्तकाल अवैधानिक व नियमों के विपरीत है ।


जिशा कुल्कर्नी
कोटा

नामान्तकरण के पीछे किशोरी का ग्राम तिलस्वां में नाते जाना अंकित है । रामचन्द्र की मृत्यु का प्रमाण पत्र भी पेश है । किशोरी का नाम नंदा की जगह खतेदार में दर्ज हुआ है उसके प्रमाण साक्ष्य जमाबन्दी संवत् 2071-2074 पेश है । रेस्पोंडेंट किशोरी का अपील में पता भी ग्राम तिलस्वां का दर्ज है और उक्त पते पर ही किशोरी के सम्मन तामिल होकर आए हैं जो पत्रावली पर है । रेस्पोंडेंट नं० 1 किशोरी का आधार कार्ड भी पेश किया है जिसमें किशोरी के पति का नाम नंदा दर्ज है और उसका पता तिलस्वां अंकित है इससे भी यह प्रमाणित है कि किशोरी नंदा की पत्नि हो गयी है इसलिए पूर्व पति की आराजी में उसका अधिकार समाप्त हो गया है । वादग्रस्त भूमि के 1/2 रामचन्द्र के हिस्से की भूमि अपीलांट के कब्जे काशत में है ।

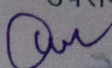
1. रूलिंग-1. आरआरडी 1984 पेज 829 (बी),

2. आरआरडी 1990 पेज 119(सी)

विधवा द्वारा नाते अथवा पुनर्विवाह करने पर विधवा का पूर्व पति की सम्पत्ति में हक समाप्त हो जाता है । अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर इन्तकाल निरस्त फरमाया जावे तथा पुनः इन्तकाल खोले जाने हेतु अपील पुनः रिमाण्ड की जाने के आदेश फरमावे ।

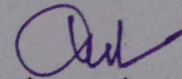
5. हमने वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी, बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 11.01.2019 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ नामा० सं० 497 दिनांक 20.12.2017 के विरुद्ध पेश की है । जो एक वर्ष बाद पेश की है जो मियाद बाहर है किन्तु विलम्ब से पेश करने का कारण अंकित किया है कि अपीलांट को आदेश की प्रथम जानकारी 7.1.2019 को हल्का पटवारी से जमाबंदी की नकल लेने पर होना अंकित किया है । अपीलार्थी को जैर अपील आदेश की प्रथम जानकारी दिनांक 07.01.2019 को होने से अपीलांट द्वारा लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ध्यान में रखते अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षम्य योग्य होने से न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

6. वकील अपीलांट द्वारा मृतक खातेदार रामचन्द्र की मृत्यु होने पर सजरा अनुसार रामचन्द्र की पत्नि किशोरी बाई के नामा० सं० 497 दिनांक 20.12.2017 स्वीकृत किया गया, नायब तहसीलदार द्वारा नामान्तकरण की पुस्त पर किशोरी बाई के तिलस्वां नाते जाने का नोट भी अंकित कर रखा है, तथा अपीलांट द्वारा सबूत के तौर पर रेस्पोंडेंट नं० 1 किशोरी का आधार कार्ड और आई.डी पेश की है जिसमें पति का नाम नन्दा लिखा हुआ है । जिससे किशोरी के तिलस्वां नाते जाना साबित होता है, प्रस्तुत अपील में अंकित तिलस्वां पते पर किशोरी को सम्मन भेजे गये जो बाद तामिल प्राप्त हुए हैं, । उपरोक्त विवेचन से यह तो साबित हो रहा है कि किशोरी बाई तिलस्वां में


जिशा कलेश्वर
मोटा

नाते चली गई है । अपीलांट द्वारा यह अपील इस हक से पेश की गई है कि वह ग्राम हीरापुर पटवार हल्का मांदलिया स्थित रामचन्द्र मृतक की खातेदारी भूमि 1/2 हिस्सा निहित था तथा अपीलांट भी रामचन्द्र का भाई व सहखातेदार है, ऐसी स्थिति में मृतक रामचन्द्र के फौती इन्तकाल तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट को भी सुनवाई का मौका दिया जाना न्यायहित में उचित होगा ।

7. अतः अपील अपीलान्त आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण संख्या 497 दिनांक 20.12.2017 ग्राम हीरापुर पटवार हल्का मांदलिया निरस्त किया जाकर प्रकरण नायब तहसीलदार मण्डाना तहसील लाडपुरा को बिना गुणावगुण के आधार पर टिप्पणी किये प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मृतक रामचन्द्र के फौती इन्तकाल तस्दीक करने से पूर्व अपीलांट को व अन्य जो भी विधिक वारिस हो उनको सुना जाकर पुनः जांच कर विधि के परिपेक्ष्य में नवीन आदेश पारित करें ।
8. निर्णय आज दिनांक 17.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(ओम कसेरा)

जिला कलक्टर कोटा

